यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** के माह 01/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सन्तोष गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16-02-2019 से 20-02-2019 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री एफ.आर.खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2017 से 19.01.2017 तक में श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** का मुख्य कार्यकलाप नैनीताल जनपद के लोगों को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं।

(ब) **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त नैनीताल है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-) (समर्पण)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	----	----	797.10	726.44	11.24	9.61		72.29
2017-18	----	----	911.40	875.38				36.02
2018-19 (upto 01/2019)			1082.23	725.12				वित्तीय वर्ष प्रगतिगत

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

योजना का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
एनएचएम	2016-17	2.36	12.43	11.53		3.26
एनएचएम	2017-18	3.26	14.10	4.67		12.69
एनएचएम	2018-19 (upto 01/2019)	12.69	5.54	7.79		वित्तीय वर्ष प्रगतिगत

(ii) इकाई को बजट कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून, एवं भारत सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महा निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1: दावारहित धनराशि रु 3.76 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना ।

प्राप्ति एवं भुगतान नियम संख्या- 189(b) प्रावधानित करता है कि – " all deposits or balances in excess of the aforesaid amount, unclaimed for more than three complete account years, shall be credited to the Government under the Consolidated Fund, keeping necessary note in the register of deposits."

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, ज़िला चिकित्सालय नैनीताल के रोकड़-बही एवं संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2011 से 2015 के मध्य रु. 3.76 लाख की परिपक्व धनराशि दावारहित (unclaimed) पड़ी हुई थी। तीन से सात वर्षों तक का विलंब होने के कारण इसका उपयोग जनहित मे किए जाने के बजाय यह धनराशि विभिन्न खातों मे अवरोधित पड़ी हुई थी जिसे नियानुसार राज्य के समेकित निधि मे जमा कराया जाना चाहिये था। जमा कराये जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	सीडीआर/एफ़डीआर/ संख्या	परिपक्वता तिथि	धनराशि
1	02087432	20.08.2012	1119.00
2	004910	05.07.2014	9559.00
3	12011822	25.12.2015	35330.00
4	0650103	09.05.2014	91595.00
5	489691	27.10.2006	4214.00
6	U6941120902	06.09.2014	30309.00
7	AACPU4769N	07.05.2014	29441.00
8	AACPU476--	21.03.2014	17447.00
9	275436	13.05.2013	12132.00
10	0650072	20.04.2013	16256.00
11	315503	01.05.2015	21862.00
12	0310907	15.11.2015	10947.00
13	048393	26.12.2013	9765.00
14	0212875	05.11.2013	15451.00
15	0213409	16.03.2014	9862.00
16	506272	03.04.2011	23523.00
17	0309323	28.09.2014	18629.00
18	U6326880401	15.10.2014	18218.00
		योग	**375659.00**

इस प्रकार रु. 3.76 लाख की परिपक्व धनराशि तीन से अधिक वर्षों तक दावारहित रहने के बावजूद राजकोष मे जमा नहीं किए जाने के कारण जनहित मे इसका उपयोग नहीं किया जा सका।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में आकंडों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि नियमों का ज्ञान न होने के कारण उक्त धनराशि को राजकोष में जमा नहीं

कराया जा सका । भविष्य में अनुपालन किया जाएगा । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त नियम प्राप्ति एवं भुगतान से संबन्धित एक बहुत ही सामान्य प्रावधान है ।

अत: दावारहित धनराशि रु 3.76 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर : गुणवत्ता निर्धारण किए बिना रु 32.67 लाख की औषधियों का वितरण किया जाना।

शासनादेश सं. 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सं. 18 के अनुसार एक समय में क्रय की गई विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए। ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनों की जांच हेतु अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01-02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाने का प्रावधान है। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी० पांडे(पु),जिला चिकित्सालय नैनीताल के औषधियो के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा 01/2017 से 01/2019 तक क्रय की गयी किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गया, जिसमे से क्रय की गयी दवाइयो के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये औषधियों के परीक्षण नहीं कराये गए। जो कि शासनादेश के प्रावधानों मे वर्णित नियमो का उल्लंघन था ।

S.No.	Year	Amount) Rs. in lakh)	No. of Total Medicine Random Sampling
1	2016- 17(01/ (से 2017	1.10	0
2	2017-18	15.94	0
3	2018- 19(01/(तक 2019	15.63	0
	Total	**32.67**	0

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यो एवं आंकडों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि औषधियाँ अल्प मात्रा मे मंगाई जाती है जिसकी मात्रा कम होने से मरीजो को वितरित किया जाना अनिवार्य होता है, सैंपलिंग करवाने से / रिपोर्ट आने तक उपरोक्त दवाओ का आवंटन बंद हो जाता है, निकट भविष्य मे इसका अनुपालन किया जाएगा।इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा औषधि के संबंध मे जारी शासनादेश की अनदेखी करते हुये औषधियों की आपूर्ति की गयी साथ ही औषधियों की गुणवत्ता संबंधी मरीजो मे वितरित किए जाने के फलस्वरूप मरीजो के स्वास्थ्य को भी ध्यान में नहीं रखा गया।

अतः गुणवत्ता निर्धारण किए बिना रु 32.67 लाख की औषधियों का वितरण किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3:- कार्मिकों के PRAN No. प्राप्त नहीं किए जाने के कारण एनपीएस मे अंशदान रु 2.72 लाख की कटौती न होने के कारण नियोक्ता के अंशदान रु 2.72 लाख से वंचित रखा जाना।

उत्तराखण्ड में राज्य कर्मचारियों के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/XXVII(7)/अ०पे०यो/2005 के अनुसार दिनांक 25.10.2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017, दिनाक: 06-04-17 में स्पष्ट किया गया हैं कि अंशदाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आई0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक बी०डी०पांडे, जिला चिकित्सालय, नैनीताल मे कार्यरत नव-नियुक्त कर्मचारियों / अधिकारियों के एनपीएस / PRAN खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्न कर्मियों की नियुक्ति कार्यालय मे विभिन्न तिथियों को गयी थी, जिनका विवरण निम्न प्रारूप मे दिया गया है-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कर्मिक का अंश	सरकार का अंश	योग
1	श्री कैलाश चन्द्र सिंह	ईसीजी टैक्निशियन	28-05-18	18955	18955	37910
2	श्रीमति सीमा आर्य	उपचारिका	24-01-17	102416	102416	204832
3	डा0 गिरीश प्रसाद पाण्डेय	साइकैट्रिस्ट	09-05-18	73520	73520	147040
4	डा0 प्रियान्शु श्रीवास्तव	पैथोलोजिस्ट	08-05-18	76888	76888	153776
			कुल योग	**271779**	**271779**	**543558**

उपरोक्त दिये गए प्रारूप मे कर्मिको का वर्तमान 02/2019 तक PRAN No. ही प्राप्त नहीं किया गया था। नियमानुसार नियुक्ति के तुरन्त बाद PRAN No. प्राप्त किया जाना चाहिए था तथा कर्मिक की प्रत्येक माह वेतन से (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के 10% धनराशि की कटौती के समतुल्य नियोक्ता अंश की नियमानुसार कटोती की जानी चाहिए थी। परंतु कार्यालय की लापरवाही के कारण NPS के तहत अंशदान की कटोती नहीं किए जाने के कारण कर्मियों को नियुक्ति तिथि से माह 12/2018 तक उपरोक्त प्रारूप के अनुसार कर्मिक अंश तथा नियोक्ता अंश की धनराशि रु0 271779+271779= **रु0 543558/-** से वंचित रहना पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्वीकार किया कि सभी कार्मिकों का PRAN संख्या शीघ्र बना लिया जाएगा तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार को उसकी प्रति प्रेषित कर दी जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि इतना समय बीत जाने तक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अत: कार्मिकों के PRAN No. प्राप्त नहीं किए जाने के कारण एनपीएस मे अंशदान रु 2.72 लाख की कटौती न होने के कारण नियोक्ता के अंशदान रु 2.72 लाख से वंचित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
46/2010-11	-	1,2,3,4	-
57/2012-13	-	1	-
139/ 2016-17	-	1,2,3,4	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	----------	अप्रस्तुत --------		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मासिक व्यय एवं पत्रावली**

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :अप्रस्तुत

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ तारा आर्य	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	30.11.15 से 30.08.18
2	डा॰ राजेश शाह	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	30.08.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.